I.T.M 322
16/3/20

Sanction Order No. /2019-20

Social Welfare Dept., Bihar

केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश की राशि

3/यो0-32/2017/खण्ड/ 19

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,

संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13.3.2020

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु कुल रूपये 200.00 लाख (दो करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु कुल रूपये 200.00 लाख (दो करोड) मात्र का उदव्यय प्राप्त है। वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 331/वि0 दिनांक 05.03.2020 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित छत्र योजना के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा अन्य प्रक्षेत्र में संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु रूपये 200.00 लाख (दो करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

राशि रू0 लाख में

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय
1	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	0201-31-06,13-01	(51-2235021040201)	200.00
	कुल योग (दो करोड)			**200.00**

2. स्वीकृत राशि की निकासी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना होंगे साथ ही जिला स्तर पर संबंधित जिला के सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, 732/वि0 दिनांक 31.07.2019, 331/वि० दिनांक 05.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0- 3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृ0-........../टि0 पर दिनांक-................... को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह एक नई योजना है। अतः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही राशि की निकासी की जानी है।

विश्वासभाजन

13/3/20

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- : 3/यो0-32/2017/खण्ड/ 19 पटना-15, दिनांक- 13-3-2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- : 3/यो0-32/2017/खण्ड/ 19 पटना-15, दिनांक- 13-3-2020

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20

संयुक्त निदेशक (मु०)